


206

आयालय श्रीमान राजस्व मंडल म०प्र० ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा (म०प्र०)

381
16-7-14

सुशील तिवारी
16-7-14



Rs. 10/-

R-2413-1114

381
16-7-14

- 1- श्री आशीष सिंह तनय श्री लाल बहादुर सिंह उम्र 35 वर्ष निवासी हरिजन थाना के पीछे सिविल लाइन अहरी टोला सतना, तहसील रघुराज नगर जिला सतना म०प्र०
- 2- श्री जगमोहन लाल मिश्रा तनय स्व० श्री बृजभूषण मिश्रा निवासी हरिजन थाना के बगल में अहरी टोला सतना, तहसील रघुराज नगर जिला सतना म०प्र०

2397 3- श्री धर्मप्रकाश मिश्रा तनय श्री सदाशिव उर्फ पियरिया बाबा निवासी ~~सतना जिला~~ आनंदिया टोला बगहा वार्ड क्रमांक-1 सतना, तहसील रघुराज नगर जिला ~~सतना~~ को प्राप्त

सतना म०प्र०
कॉर्ट ऑफ को.
राजस्व मंडल म प्र. ग्वालियर

----निगरानीकर्तागण

बनाम्

1. स्टेट आफ म०प्र० द्वारा कलेक्टर सतना जिला सतना म०प्र०
 2. श्री कमलाकांत अग्निहोत्री (मृत) जरिए वारिसान
 - ✓ 2अ. शांति देवी पत्नी स्व० कमलाकांत अग्निहोत्री उम्र 77 वर्ष
 - ✓ 2ब. अनुरुद्ध प्रताप पुत्र स्व० कमलाकांत अग्निहोत्री उम्र 57 वर्ष
 - ✓ 2स. राजेन्द्र पुत्र स्व० कमलाकांत अग्निहोत्री उम्र 55 वर्ष
 - ✓ 2द. राजेश पुत्र स्व० कमलाकांत अग्निहोत्री उम्र 42 वर्ष
 - ✓ 2ई. रजनीश पुत्र स्व० कमलाकांत अग्निहोत्री उम्र 39 वर्ष
- सभी निवासी ग्राम खैरा बगहा, वार्ड क्रमांक-1 सतना तहसील रघुराज नगर जिला सतना म०प्र०

3. राजेश अग्रवाल तनय स्व० श्री गुरुप्रसाद अग्रवाल निवासी हनुमान चौक
सतना तहसील रघुराज नगर जिला सतना म०प्र०

-----गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध निर्णय व आदेश दिनांक
28.05.14 जो न्यायालय श्रीमान अपर
आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा द्वारा प्रकरण
क्रमांक 591/निगरानी/2006-07 मे पारित
किया गया।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू राजस्व
संहिता।

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है:-

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.05.14
विधि प्रक्रिया एवं प्रकरण मे आये तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त
किए जाने योग्य है।
2. यह कि निगरानीकर्तागण द्वारा जो तथ्य उठाए गए थे उसके संबंध
मे अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई विचार किए तथा उन बिन्दुओं
पर बिना कोई निष्कर्ष दिए जो आदेश पारित किया है वह गलत,
त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक होने से निरस्त किए जाने योग्य है।
3. यह कि म०प्र० भू राजस्व संहिता को प्रभावी होने के समय तथा
उसके पूर्व से प्रार्थीगण भूस्वामी थे तथा उनके नाम भूमिस्वामित्व मे
दर्ज करने की 48 वर्ष पूर्व की गयी कार्यवाही के विरुद्ध निगरानी
परिसीमा वाधित होने के बाद भी प्रकरण के गलत शिकायत के

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०. R/2413-II/2014

जिला-सतना

आशीष सिंह/शासन, कमलाकांत अग्निहोत्री

(1)	(2)	(3)
22.08.17	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री प्रमोद मिश्रा एड० उपस्थित। उनके द्वारा अनुरोध किया गया है, कि प्रकरण को वह आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अतः आवेदक अधिवक्ता का अनुरोध स्वीकार किया जाता है, प्रकरण न चलाने के कारण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।</p> <p>सदस्य</p>	